

राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 57 /2025  
दायरा तिथि : 22/04/2025  
निर्णय :- 24/7/25

घनश्याम आदि

बनाम

करणी सिंह आदि

राजस्व वाद

- 1 घनश्याम पुत्र चैना राम उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त, मो.नं.
- 2 प्रभात कुमार पुत्र चैना राम उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त

— वादीगण

## बनाम

- 1 करणी सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 2 दीप सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 3 जेटीकंवर पत्नी शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 4 कल्याण सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 5 पदम सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 6 भंवर सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 7 मदन सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 8 शेर सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 9 धनेश कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 10 पूजा राठौड़ पुत्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 11 रेखा कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 12 सुमेर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 13 सोनम कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 14 श्रवणराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 15 श्रीमान् शाखा-प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु
- 16 श्रीमान् शाखा-प्रबंधक महोदय, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरु



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर/

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन हेतु

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. रघुवीर भागू, एडवोकेट वारसे वादीगण
2. आभीन शेख, एडवोकेट वारसे प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,7,8 की ओर से
3. परमानन्द विजारणीयां, एडवोकेट वारसे प्रतिवादीगण संख्या 1,5,6,9,10,11,13,14 की ओर से
4. तहसीलदार, बीदासर वारसे पैरोकार राज.


दिनांक : 24-7-25

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त अनुवानी राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या 171 खसरा नम्बर 150 तादादी 8.8525 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 215 तादादी 2.2764 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 525 तादादी 5.1598 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 58 तादादी 6.6899 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 682 तादादी 4.8688 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 73 तादादी 14.9987 हेक्टेयर कुल 7 खसरान कुल तादादी 48.9796 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के मध्य वादगत खेत का मौखिक रूप से विभाजन किया हुआ है लेकिन उक्त खेत खसरा भूमि का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण के उपयोग उपभोग, कब्जा, काश्त में खेत खसरा संख्या 282 में दक्षिणी तरफ की भूमि वादीगण के कब्जा-काश्त में चली आ रही है जो आज दिन वादीगण के संयुक्त रूप से वर्तमान में कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग में है, लेकिन उक्त खेत खसरान की भूमि का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उपरोक्त खेत खसरान की भूमि अविभाजित एवं संयुक्त खातेदारी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। जब तक उक्त खेत खसरान भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। वादीगण ने आदि-आदि वाद-पत्र पेश किया।

वाद-पत्र पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,5,6,7,8,14 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा इस न्यायालय में पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1,9,10,11, व 13 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया एवं प्रतिवादीगण संख्या 12,15,16 बावजूद विधिवत तामील के उपस्थित नहीं आने से दिनांक 4/06/2025 को इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 17 राजस्थान सरकार की ओर से राजहित नहीं होना का जवाब दिनांक 12/06/2025 को पेश किया गया। पक्षकारों की ओर राजीनामा व इकबाल जवाब इस न्यायालय में पेश किया जिसमें पक्षकारों ने अपने राजीनामा में अंकित किया कि हम पक्षकारों ने आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है, जिसमें वादगत खेत खसरा संख्या 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर में से वादीगण की भूमि दक्षिणी तरफ की भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो आज दिन वादीगण के संयुक्त रूप से वर्तमान में कब्जा काश्त उपयोग-उपभोग में है, मुताबिक राजीनामा व इकबाल जवाब दावा के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय फरमाया जाकर प्रारम्भिक डिग्री जारी कर उपरोक्त खसराओं का तहसीलदार बीदासर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेश फरमाया गया था।

विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर वादीगण वकील की बहस सुनी गई, जिसमें वादीगण वकील ने निवेदन किया कि रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर के खेत खसरा संख्या 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर में से वादीगण के हिस्सा-पांति की भूमि दक्षिणी तरफ गीन 3.0667 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी अलग दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार का खेत खसरा संख्या 150 गीन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी पूर्वी तरफ व खेत खसरा नम्बर 682 गीन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी तरफ की अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 का खेत खसरा संख्या 282 गीन 3.0668 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 150 गीन 6.7027 हेक्टेयर, खसरा संख्या 682 गीन 2.719 हेक्टेयर, खसरा संख्या 215 तादादी 2.2764 हेक्टेयर,



उपस्थित अधिकारी  
बीदासर

खसरा संख्या 525 तादादी 5.1598 हेक्टेयर, खसरा संख्या 58 तादादी 6.6899 हेक्टेयर, खसरा संख्या 73 तादादी 14.9987 हेक्टेयर में प्रतिवादीगण की संयुक्त अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व वित्तीय संस्था मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के नाम दर्ज रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया, वहस वकील वादीगण सुनी गई विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार उभय पक्षकारों का विभाजन रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर के खेत खसरा संख्या 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर में से वादीगण के हिस्सा-पांति भूमि दक्षिणी तरफ मीन 3.0667 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी अलग दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार का खेत खसरा संख्या 150 मिन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी पूर्वी तरफ व खेत खसरा नम्बर 682 मीन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी तरफ की अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 का खेत खसरा संख्या 282 मीन 3.0668 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 150 मीन 6.7027 हेक्टेयर, खसरा संख्या 682 मीन 2.719 हेक्टेयर, खसरा संख्या 215 तादादी 2.2764 हेक्टेयर, खसरा संख्या 525 तादादी 5.1598 हेक्टेयर, खसरा संख्या 58 तादादी 6.6899 हेक्टेयर, खसरा संख्या 73 तादादी 14.9987 हेक्टेयर में प्रतिवादीगण की संयुक्त अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व वित्तीय संस्था मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के नाम दर्ज रहे। इस प्रकार पक्षकारों का विभाजन किया जाना उचित है।

#### आदेश

वादीगण का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग का खसरा नम्बर 150 तादादी 8.8525 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 215 तादादी 2.2764 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 525 तादादी 5.1598 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 58 तादादी 6.6899 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 682 तादादी 4.8688 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 73 तादादी 14.9987 हेक्टेयर रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर में स्थित है। जिसमें वादीगण घनश्याम व प्रभात कुमार पुत्रगण चैना राम जाति जाट निवासीगण ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार खेत खसरा संख्या 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर में से वादीगण की हिस्सा-पांति भूमि दक्षिणी तरफ मीन 3.0667 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी अलग दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार का खेत खसरा संख्या 150 मिन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी पूर्वी तरफ व खेत खसरा नम्बर 682 मीन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी तरफ की अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 का खेत खसरा संख्या 282 मीन 3.0668 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 150 मीन 6.7027 हेक्टेयर, खसरा संख्या 682 मीन 2.719 हेक्टेयर, खसरा संख्या 215 तादादी 2.2764 हेक्टेयर, खसरा संख्या 525 तादादी 5.1598 हेक्टेयर, खसरा संख्या 58 तादादी 6.6899 हेक्टेयर, खसरा संख्या 73 तादादी 14.9987 हेक्टेयर में प्रतिवादीगण की संयुक्त अलग खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे व नक्शा में अलग तरमीम की जावे व वित्तीय संस्था मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के नाम दर्ज रहे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अंतिम निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी,  
बीदासर,  
बीदासर

# अंतिम डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर  
व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

घनश्याम आदि बनाम करणी सिंह आदि  
दावा बाबत विभाजन

मुकदमा नम्बर 57 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू-ब-रू ..... हाजरी रघुवीर भामू एडवोकेट भिनजानिब मुद्ई व प्रतिवादीगण वकील आमीन शेख, परमानन्द बिजारणिया व पैरोकार राज भिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग का खसरा नम्बर 150 तादादी 8.8525 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 215 तादादी 2.2764 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 525 तादादी 5.1598 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 58 तादादी 6.6899 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 682 तादादी 4.8688 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 73 तादादी 14.9987 हेक्टेयर रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर में स्थित है। जिसमें वादीगण घनश्याम व प्रभात कुमार पुत्रगण चैना राम जाति जाट निवासीगण ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार खेत खसरा संख्या 282 तादादी 6.1335 हेक्टेयर में से वादीगण की हिस्सा-पांति भूमि दक्षिणी तरफ मीन 3.0667 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी अलग दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार का खेत खसरा संख्या 150 मिन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी पूर्वी तरफ व खेत खसरा नम्बर 682 मीन 2.1498 हेक्टेयर दक्षिणी तरफ की अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 का खेत खसरा संख्या 282 मीन 3.0668 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 150 मीन 6.7027 हेक्टेयर, खसरा संख्या 682 मीन 2.719 हेक्टेयर, खसरा संख्या 215 तादादी 2.2764 हेक्टेयर, खसरा संख्या 525 तादादी 5.1598 हेक्टेयर, खसरा संख्या 58 तादादी 6.6899 हेक्टेयर, खसरा संख्या 73 तादादी 14.9987 हेक्टेयर में प्रतिवादीगण की संयुक्त अलग खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे व नक्शा में अलग तरमीम की जावे व वित्तीय संस्था मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के नाम दर्ज रहे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अंतिम निर्णय व डिकरी का भाग रहेगा। अंतिम डिकरी की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। इस प्रकार अंतिम डिकरी जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

चीज ..... मुबलिंग ..... बाबत.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमावी तक..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24-07-2025 माह 07-2025


मुहर



दस्तखत .....  
उपखण्ड अधिकारी  
ओहदा ..... बीदासर.....

मद्ई	रुपया	पै	मुदायलाई	रुपया	पै
रटाम्प अजीदावा रटाम्प वकालतनामा रटाम्प वजह सवूत मदनताना वकील खर्चा गयाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			रटाम्प वकालतनामा रटाम्प अजी मदनताना वकील पर खर्चा गयाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	मीजान	

नोट : खर्च के फॉर्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।



उपखण्ड अधिकारी